दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल अफसर

8/1/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी- अप्रार्थी अधिवक्ता ... अप्रार्थी सं. 7 लगा. 9 की तलबी रिपोर्ट के ... में पत्रावली दिनांक 22/1/26 को पेश हो।

8/1/26

22/1/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी- अप्रार्थी अधिवक्ता उप.। अप्रार्थी सं. 7 लगा. 9 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी सं. 7 लगा. 9 को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी सं. 7 लगा. 9 के विरुद्ध बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 29/1/26 को पेश हो।

22/1/26

29/1/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी- अप्रार्थी अधिवक्ता उप.। पत्रावली बहस से अंतिम बहस हेतु नियत कर दी गई जबकि पत्रावली में अप्रार्थी सं. 12 की तलबी शेष है, अतः आदेशिका दिनांक 20/1/21 को संशोधित किया जाता है। पत्रावली वास्ते अप्रार्थी सं. 12 की तलबी हेतु दिनांक 6/2/21 को पेश हो।

29/1/26

6/2/26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उप.। अप्रार्थी सं. 12 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। शामिल किये गये। उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी नं. 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4605, 4606, 9292/4594 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित सम्पत्ति है जिसका विभाजन कराने हेतु प्रार्थी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि में वादी/प्रार्थी

— लगातार —

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/2/26	द्वारा माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशिष्टीकृत हिस्से में कब्जा करने के उद्देश्य से पेड़-पौधे, खोर व बाड़ की सफाई कराते हुये मौके पर पत्थर, रेत व सीमेंट तथा अभाव डालकर निर्माण कार्य करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थीगण को मुलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने से पूर्व तक नहीं रोका गया तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा। अतः अप्रार्थीगण को मुलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।	
	अप्रार्थी सं-1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी सं-1 का वादग्रस्त भूमि में से आराजी नं. 9292/4594, 4595, 4591, 4602 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7966 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त है एवं प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि का 40 वर्षों से अधिक समय पूर्व से ही मौके पर हक हिस्सेनुसार विभाजन किया हुआ है, उक्त विभाजन अनुसार ही सभी पक्षकारान् वादग्रस्त आराजीयात पर पृथक्-पृथक् काबिज है। अप्रार्थी सं. 1 तथा अन्य पक्षकारान द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने एवं जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु चारों तरफ बाड़ लगाने में कठिन श्रम एवं पूंजी व्यय की है। अप्रार्थी सं. 1 अपने हक हिस्से अनुसार 0.537 है. कम भूमि पर काबिज है जिसकी पूर्ति करवानी भी आवश्यक है। अतः अप्रार्थी सं. 1 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।	
	प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। पत्रावली का गुणावगुण पर	

— लगातार —

6/2/26

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/2/26	पर निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं के आधार पर पत्रावली का निस्तारण किया जाना उचित है:- (i) प्रथमदृष्टया मामला (ii) सुविधा का संतुलन (iii) अपूरणीय क्षति प्रकरण में उपरोक्त तीनों बिन्दुओं का संयुक्त रूप से विचारण उपरान्त निर्णय किया जा रहा है। विचाराधीन वाद में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रत्येक की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा-काश्त विधिक रूप से होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य सीमाचिन्हों को लेकर मौके पर वाद-विवाद उत्पन्न होने का अंकन है जिससे वादी द्वारा व्यथित होकर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब दावे में / जवाब प्रार्थना पत्र में आराजी सं. 9292/4594, वादग्रस्त आराजीयात में से आराजी सं. पर स्वयं का कब्जा-काश्त 4594, 4597 व 4602 पर स्वयं का कब्जा-काश्त होने का अंकन किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विभाजन किया हुआ है और वे पृथक्-पृथक् आराजीयात पर कब्जा-काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा बाड़-बाड़ हटाने, सीमेंट एवं पत्थरों से स्थाई निर्माण करने का अंकन प्रार्थना पत्र में किया गया है, उक्त तथ्य की पुष्टि अप्रार्थी सं.-1 द्वारा अपने जवाब-प्रार्थना पत्र में की है और निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 की कब्जे-काश्त की भूमि में कांटे की बाड़ गल जाने से फसलों की सुरक्षा हेतु अप्रार्थी सं. 1 मौके पर उसके कब्जे काश्त की भूमि में जाली लगाने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता	

— लगातार —

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/2/26	मौके पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने विशिष्टीकृत कब्जाशुदा आराजीयात में फसलों की सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा है।	

प्रकरण में नवीन वाद-विवादों को रोकने के उद्देश्य से न्यायालय का यह उचित प्रतीत होता है कि मूल वाद के निस्तारण तक नवीन निर्माणों को रोका जाना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त किसी भी पक्षकार को उसके हद-हिस्से के उपयोग-उपभोग से रोका जाना न्यायोचित नहीं है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वादग्रस्त भूमि में से विशिष्टीकृत भू-भाग का अंतरण कर दिये जाने पर नवीन वाद-विवाद उत्पन्न होंगे, अतः नवीन वाद-विवादों को रोके जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उभयपक्षकारान् को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित होगा। अतएव

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और ग्राम ... की वादग्रस्त आराजी नं. 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4605, 4606, 9292/4594 कुल किता 15 कुल रकबा 3.4013 है. भूमि में उभयपक्षकारान् को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से के अनुसार किसी विशिष्टीकृत भू-भाग का विक्रय, अंतरण नहीं करने हेतु मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। वादग्रस्त भूमि में किसी सहखातेदार की मृत्यु होने पर उसके स्वीय विधि से विधिक वारिसान का नामान्तरण

— लगातार —

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 270/2025 बिरदु बनाम शांतिलाल

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/2/26	दर्ज करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा	